कार्यालय ज्ञाप

वित्त (सामान्य)अनुभाग–3,उ0प्र0शसन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 14/2024 /सा0–3–243/दस/301(1)/2024 दिनांक 28 जून,2024, शासनादेश सं0 20/2024/ सा0–3–276 /दस/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई ,2024 , शासनादेश सं0 24/2024/सा0–3–303 /दस/301(1)/2024 दिनांक 22 अगस्त ,2024 एवं शासनादेश सं0 20/2025/सा–3–477/दस–2025/301(1)/2024 दिनांक– 30.07.2025 में निहित निर्देशानुक्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिक जिनका चयन ऐसे पद /रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था और दिनांक 01–04–2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अन्तर्गत कवर किया गया है को कृषि शिक्षा अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 3322134/2025/कृशिअ–67–1099/41/2025 दिनांक–31.03.2025 एवं 3421059/67–कृशिअ– 25–1099/41/2025 दिनांक–10.06.2025 के परिपालन में राज्य सरकार राजस्व (नान–प्लान) हेतु सृजित ऐसे पद जिनका वित्तीय व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, पर मूलतः नियुक्त निम्नलिखित कुल 02 शिक्षक/वैज्ञानिक को उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स, 1961 के अधीन करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है–

राज्य सरकार राजस्व (नान–प्लान)	
कमांक	शिक्षक/वैज्ञानिक का नाम व पदनाम
1.	डा0 गिरीश चन्द्र, सहायक पैथोलाजिस्ट/सहायक प्राध्यापक(सब्जी) सब्जी विज्ञान विभाग, शोध निदेशालय।
2.	डा0 भगवान दीन, सह प्राध्यापक, (उद्यान) उद्यान विज्ञान विभाग

उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0 ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/लेख/पुरानी पेंशन/2025/547 दिनांक–17.06.2025 द्वारा कमांक 16,17,18,19 एवं 21 पर अंकित एन0ए0आर0पी0 योजना हेतु सृजित पदो पर मूलतः नियुक्ति निम्न कार्मिकों को उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स, 1961 के अधीन करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी–

एन0ए0आर0पी0 योजना		
क0सं0	पूर्व कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.06.2025 का कमांक	वैज्ञानिक/कार्मिक का नाम
1.	16	डा0 रमेश चन्द्र, सहायक प्राध्यापक (सूत्रकृमि)
2.	17	डा0 राकेश बाबू गौतम, सहायक प्राध्यापक (कृषि अभियंत्रण)
3.	18	डा0 आदेश कुमार, सहायक प्राध्यापक (माइकोबायोलाजी)
4.	19	डा0 धर्मेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक (पादप रोग)
5.	21	श्री सुनील कुमार, जूनियर स्टेनोग्राफर/कम्प्यूटर असिस्टेन्ट

शासन के पत्र सं0 2503161/67–कृशिअ–23–1099/14/2023 दिनांक–18.10.2023 के बिन्दु सं0 04 में अंकित है कि *"उक्त से स्पष्ट है कि पेशन का लाभ मात्र उन कार्मिकों को अनुमन्य है, जिनके पदो का सृजन राज्य सरकार द्वारा नियमित पद के रूप में किया गया हो, राज्य सरकार कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत ऐसे कार्मिकों जो ICAR, नई दिल्ली की विभिन्न योजनाओं यथा एक्रिप, नार्प एवं कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत हो, को सेवानिवृत्तिक लाभ (पेंशन,ग्रेच्युटी इत्यादी) दिये जाने हेतु उत्तरदायी नहीं है।"*

अतः शासन के पत्र दिनांक–18.10.2023 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप सं0 ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/लेख/पुरानी पेंशन/2025/547 दिनांक–17.06.2025 द्वारा एन.ए.आर.पी. योजना हेतु सृजित पदों पर मूलतः नियुक्ति उपरोक्त वैज्ञानिकों/कार्मिकों को उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स, 1961 के अधीन करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के लाभ को शासन के पत्र दिनांक–18.10.2023 के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्गत होने वाले अग्रिम आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। शासन से प्राप्त होने वाले आदेशानुक्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त सीमा तक पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/लेख/पुरानी पेंशन/2025/547 दिनांक–17.06.2025 संशोधित किया जाता है।

(बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/लेखा/पुरानी पेंशन/2025/1594 दिनांक 29-11-,2025

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ को शासन के पत्र दिनांक–31.03.2025 एवं 10.06.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, पेशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि प्रयोग केन्द्र।
6. अधिष्ठाता, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय/कृषि महाविद्यालय/महामाया कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय।
7. वित्त नियंत्रक जी।
8. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. सेल।
9. अध्यक्ष, कोआर्डिनेशन सेल।
10. विभागाध्यक्ष, साख्यिकी विभाग को विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
11. सम्बन्धित शिक्षक/वैज्ञानिक/कार्मिक।
12. स्था0 1,2,3,4,5,7/लेखा/गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड ।

29.11.2025

(सुशान्त श्रीवास्तव)
निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण